बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौता

यह करार आज दिनांक 06 मई, 2016 को प्रधान सचिव, बिहार सरकार, परिवहन विभाग के माध्यम से बिहार के राज्यपाल (जिन्हें आगे "बिहार सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष और प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तर प्रदेश सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूँकि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की समीपस्थता और देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्रियों और माल के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, इसलिए दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवयश्यक है।

और चूँकि, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच उक्त विषय पर हुए समस्त पूर्ववर्ती करारों का अधिक्रमण करके समान्यतः लोकहित में नया पारस्परिक करार एतद पश्चात् उपसंजात होने वाले निबंधन एवं भार्तो पर करना आवश्यक है।

उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा और उनके मध्य अब पारस्परिक रूप से निम्नलिखित करार किया जाता है:

1. यह करार सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. **अस्थायी परमिट जारी किये जाने की सामान्य सहमति**

मोटरयान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 88(7) में प्रावधानित है कि धारा 88(1) में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी एक संभाग का संभागीय परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्र, जो दूसरे संभाग या राज्य में विधिमान्य होगा, उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा मामला हो, की सहमति से सामान्यतया या विशिष्ट अवसरों के लिए जारी कर सकेगा। अधिनियम के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया कि दोनों राज्यों के संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण इस करार के खण्ड 4 व 6 के उपबन्धों के अधीन आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 88(1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये बिना मालयान और ठेका गाड़ियों के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेंगे।

3. **मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन पांच वर्ष का मालयान अनुज्ञा पत्र**

(एक) यह करार पाया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मालयान परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण बिहार में वैध होंगे तथा इसी प्रकार राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार द्वारा जारी परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वैध होंगे। सम्बन्धित राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति पर इन परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(दो) प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के आधार पर संचालित मालयान का उपयोग करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे यान, करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिशिद्ध होंगे और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे जैसा सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 व 84 के अन्तर्गत अधिरोपित करना उचित समझे।

4. **मालयान (अस्थायी अनुज्ञा पत्र)**

(एक) उपरोक्त खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दोनों में से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र/मार्ग, जैसा परमिट पर विनिर्दिष्ट हो, पर संचालन हेतु अधिनियम की धारा 87 के अनुसार तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य मालयान अस्थायी अनुज्ञा–पत्र, उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकते हैं।

(दो) यह अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी किये जायेंगेः–

(क) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा अर्थात ऐसे यान अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिए प्रतिषिद्ध रहेंगे।

(ख) प्रचालक किसी अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना समझे, पालन करेगा।

(ग) जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य का सम्बन्ध है, अस्थायी परमिट के प्रति उत्तर प्रदेश राज्य का देय कर ई–पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा–पत्र में ई–पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम से देय होगा जो संभागीय परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या नजदीकी परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल को दिया जायेगा। यदि कर की धनराशि में कोई कमी हो तो उसे नगद में निर्धारित और वसूल किया जायेगा और विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

5. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–74 के अधीन पांच वर्षीय मोटर कैब अनुज्ञा–पत्र

ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कैब गाड़ियों के अनुज्ञा–पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट में विनिर्दिश्ट क्षेत्र/मार्गों के लिए किया जायेगा। प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तों के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को न ही चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

6(1). ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा–पत्र

उपरोक्त खण्ड (2) के अध्यधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा करारकर्ता राज्य में विनिर्दिश्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिश्ट मार्ग के लिए ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी किये जा सकेंगे। यद्यपि, यदि किन्ही कारणवश एक

राज्य द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की वैधता दूसरे राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है तो, परिवहन प्राधिकारी, जिसके अधिक्षेत्र में उस समय वाहन हो, से आवश्यक फीस व कर की अदायगी पर नया अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(एक) ऐसे अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होंगे:–

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होंगे।

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जाएगी तथा एकल वापसी यात्रा के लिए उपयोग की जाएगी।

(दो) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी। यदि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञापत्र मंजूर करने के पश्चात वापसी यात्रा का दिनांक बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस आशय की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा–पत्र

किसी राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन जारी अनुज्ञा पत्रों की संख्या का निर्बन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र करारकर्ता राज्य में तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए वैध होंगे।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, अस्थायी परमिट के प्रति उत्तर प्रदेश राज्य का देय कर ई–पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैंक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा–पत्र में ई–पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृश्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम से देय होगा जो संभागीय परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या नजदीकी परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल को दिया जायेगा। यदि इस प्रकार जमा कर की धनराशि में कोई कमी हो तो उसे नगद में आगणित और वसूल किया जायेगा जिसके लिए विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

7 **कराधान**

(एक) विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञा पत्रों पर संचालित विभिन्न प्रकार की वाहनों के संदर्भ में करारकर्ता राज्य के करों का भुगतान सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(दो) परन्तु, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को जो अनन्यतः एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाय, करारकर्ता राज्य में उदग्रहणीय समस्त करों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

8 **करों के संदाय का प्रकार**

(एक) उत्तर प्रदेश के लिए

अनुज्ञा पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से ई–भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट, जो भारत के किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य हो, द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं। सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय अथवा परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल आगे की यात्रा से पूर्व करारकर्ता राज्य अपने करों की वसूली की अपेक्षा करेगा।

ई–भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा करों के अग्रिम भुगतान की स्थिति में ई–भुगतान का विवरण अथवा प्रत्येक डिमान्ड ड्राफ्ट जिनके द्वारा दूसरे राज्य के करों का भुगतान किया गया हो, की संख्या, दिनांक व धनराशि का विवरण अनुज्ञा पत्र के मुखपृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जायेगा और उसे सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार को भेजा जायेगा और उत्तर प्रदेश की दशा में परिवहन आयुक्त (सेन्ट्रल पूल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा जायेगा।

प्रत्येक राज्य का परिवहन प्राधिकारी, ई–पेमेन्ट द्वारा अग्रिम भुगतान न किये जाने की दशा में ऐसा अनुज्ञा पत्र जारी करते समय स्वामी/चालक को आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले सीमा पर अवस्थित संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय अथवा परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल को करों के भुगतान हेतु निर्देशित करेगा।

(दो) बिहार के लिए

यदि बिहार राज्य का सम्बन्ध है, अस्थायी परमिट के प्रति बिहार राज्य का देय कर ई–पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा–पत्र में ई–पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित

किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, बिहार के नाम से जो पटना में भुगतान योग्य हो, देय होगा। आरटीए/एसटीए कार्यालय में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट प्रत्येक माह के अन्त में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के कोर बैंकिंग नम्बर में जमा कराये जायेंगे।

ऐसे अनुज्ञा पत्र जिसका प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित हो, का कर राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करते समय डिमान्ड ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य हो, द्वारा संग्रहित किया जायेगा।

(तीन) सभी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों और विशेष अनुज्ञा पत्रों की प्रतियां, ई–भुगतान अथवा भारत के किसी निर्धारित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भुगतान योग्य डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण एवं अन्य सम्बन्धित सूचनायें सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, बिहार को तत्काल भेजी जायेंगी और उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसे अस्थायी अनुज्ञा पत्रों/विशेष अनुज्ञा पत्रों की प्रतियां ई–भुगतान अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट के विवरण सहित परिवहन आयुक्त (सेन्ट्रल पूल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को मासिक अन्तराल में भेजा जायेगा।

9– मंजिली गाड़ी

मंजिली गाड़ी का संचालन निम्नलिखित रीति से शासित होगा:–

(एक) उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गो पर मंजिली गाड़ियों का संचालन अनुलग्नक "क" और "ख" में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर फेरों की संख्या यथास्थिति प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले किलोमीटर के आधार पर निर्धारित होगी। मोटरयान अधिनियम, 1988 के अध्याय–छः के अधीन करारकर्ता राज्यों द्वारा बनायी गयी योजना के आधार पर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राज्य परिवहन निगम से भिन्न संचालक यथा सेमी गवर्नमेन्ट, ज्वाइन्ट वेन्चर, निजी संचालक आदि को भी अनुमान्य किया जायेगा। यदि किसी कारणवश अनुज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र का निस्तारण किया जाना सम्भव न हो और सम्बन्धित राज्य के लिए अनुलग्नक में निर्धारित कोटे के अन्तर्गत रिक्ति उपलब्ध हो तो गृह राज्य अधिनियम की धारा 87(1)(ग) के अधीन अधिकतम चार माह की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र करारकर्ता राज्य को सूचित कर जारी कर सकेगा। इस खण्ड के अधीन स्वीकृत/जारी अनुज्ञा पत्र पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

यह उपबंधित है कि, कोई वाहन, मालिक द्वारा अन्डरटेकिंग के नियंत्रणाधीन और अधिकार में दिया जाय, तो अंडरटेकिंग द्वारा उक्त वाहन के उपयोग के लिये अंडरटेकिंग और ऐसे मालिक के बीच हुयी व्यवस्था के अधीन, ऐसे वाहन को इस कसर में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी परिशिष्ट–क में वर्णित मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी जायेगी।

(दो) यदि किसी कारण से अनुज्ञा–पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन–पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो करारकर्ता राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 87(1)(घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा–पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा–पत्रों पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञा–पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन–पत्र, मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा– 81(2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(तीन) नियमित/अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर परमिटधारक सम्बन्धित राज्य के समक्ष प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(चार) करारकर्ता राज्य की मंजिली गाड़ियों में सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित लोगो व लीजेन्ड प्रदर्शित किया जायेगा।

(पांच) इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य एकल फेरा से है। अनुलग्नक में उल्लिखित मार्गो का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो छोरों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है और अनुलग्नक में प्रदर्शित मार्ग की लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के मध्य तत्परता से पत्र–व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(छः) प्रारम्भिक समय–सारणी का निर्धारण अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल औपबन्धिक आधार पर किया जायेगा जो अधिकतम चार मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस अवधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञापत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय–सारणी को अन्तिम रूप देगा।

(सात) किराया, भाड़ा, कर और बस स्टाप/स्टेशन, संबंधित राज्य द्वारा समय–समय पर विहित उपबन्धों/व्यवस्था के अनुसार होगा। एक राज्य से जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विधिमान्य समझा जायेगा।

(आठ) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित राज्य में अवस्थित मार्गों के भागों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए कोई प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(नौ) यथास्थिति करारकर्ता राज्य के सचिव/प्रमुख सचिव/प्रधान सचिव, सभी विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति कर लिखित रूप से आपसी सहमति पर, नये मार्गों के संचालन एवं विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और उनके द्वारा किया गया यह कृत्य समझौते का अंश समझा जायेगा।

(दस) एक वाहन एक परमिट से आच्छादित होगा।

10– प्रतिहस्ताक्षर

एक राज्य द्वारा पारस्परिक परिवहन समझौते के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र, सम्बन्धित राज्य के सचिव, संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति के आधार पर संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस व अन्य देय करों के भुगतान के अध्यधीन सामान्यतया निस्तारित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

11– सामान्य

(एक) सम्बन्धित करारकर्ता राज्य इस करार के अनुसार चल रहे यान के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के सम्बन्धित नियमों के अध्यधीन जारी टैक्स टोकन, चालक व कन्डक्टर लाइसेन्स, परिवहन यान अधिकार पत्र, बैज, स्वस्थता प्रमाण–पत्र आदि को मान्यता देंगे।

(दो) यदि कोई परमिटधारक किसी एक राज्य द्वारा जारी एवं दूसरे राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्र के आधार पर संचालन कर रहा हो, दूसरे राज्य के कर की अदायगी करने में असफल रहता है और उसके बाद संचालन बन्द कर देता है तो ऐसे चूककर्ता से कर की वसूली में दोनों राज्य एक–दूसरे की सहायता करेंगे।

(तीन) आम यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से निम्न बिन्दुओं पर यह भी करार पाया गया कि पर्यावरणीय प्रदूषण व अन्य अधिनियम/नियमों का उल्लंघन न हो:–

(क) पांच वर्ष तक की आयुसीमा की वाहन के लिए अप व डाउन सेवा को मिलाकर अधिकतम संचालन दूरी 620 किलोमीटर होगी।

(ख) पांच वर्ष से दस वर्ष तक की आयुसीमा की वाहन के लिए अप व डाउन सेवा को मिलाकर अधिकतम संचालन दूरी 400 किलोमीटर होगी।

(ग) दस वर्ष से बारह वर्ष तक की आयुसीमा की वाहन के लिए अप व डाउन सेवा को मिलाकर अधिकतम संचालन दूरी 250 किलोमीटर होगी।

(घ) बारह वर्ष से अधिक आयु सीमा की वाहन को अन्तर्राज्यीय अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

(चार) यह पारस्परिक परिवहन करार सरकारी गजट में इस करार के प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा तथा अगले 10 वर्ष या उस समय तक जब तक कि दोनों राज्यों के बीच नया करार न हस्ताक्षरित हो जाय, जो भी पहले हो, तक विधिमान्य रहेगा। जब कभी जरूरत उत्पन्न हो यह करार पुनरीक्षित किया जा सकता है या किसी एक पक्ष द्वारा लिखित रूप से दूसरे पक्ष को छः माह की पूर्व सूचना देकर विखण्डित किया जा सकेगा।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं:

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए
और उनकी ओर से

8.5.16

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तर प्रदेश सरकार

बिहार के राज्यपाल के लिए
और उनकी ओर से

6/5/16

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार सरकार।

साक्षी
(अनिल कुमार मिश्र)
सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश

साक्षी
(अरूण कुमार प्रसाद)
अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार सरकार।

अनुलग्नकः–क

एसटीयू के संचालन हेतु मार्गों का विवरण

क्र.सं.	मार्गों का नाम	मार्गों की दूरी (किमी0)				परमिटों की संख्या		फेरों की संख्या		संचालित किमी0	
		बिहार	यू.पी.	झारखण्ड	योग	बिहार	यू.पी.	बिहार	यू.पी.	बिहार द्वारा यू. पी. में	यू.पी. द्वारा बिहार में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना–वाराणसी वाया आरा, बक्सर	138	132	00	270	8	7	16	14	2112	1932
2	दरभंगा–भदोही वाया वाराणसी, सेवापुरी	277	179	00	456	2	0	2	0	358	0
3	गया–सारनाथ वाया वाराणसी, औरंगाबाद, डेहरी	222	60	00	282	7	2	14	4	840	888
4	पटना–आरा–बलिया वाया बक्सर	117	35	00	152	14	5	28	10	980	1170
5	छपरा–गोरखपुर	115	101	00	216	8	8	16	16	1616	1840
6	सिवान–गोरखपुर	37	105	00	142	2	4	4	8	420	296
7	मोतिहारी–गोरखपुर	108	101	00	209	2	1	4	2	404	216
8	रक्सौल–गोरखपुर वाया गोपालगंज, सलेमगढ़, कसया	160	101	00	261	2	0	4	0	404	0
9	रक्सौल–गोरखपुर वाया मोतीहारी	207	101	00	308	3	2	3	2	303	414
10	देवरिया–पटना	177	43	00	220	7	4	14	8	602	1416
11	वाराणसी–डेहरी	198	50	00	248	5	4	10	8	500	1584
12	रामनगर–भभुआ वाया जमालपुर, सिन्देरपुर, भीखमपुर, चकिया, बेन, धरौली	25	45	00	70	1	0	4	0	180	0
13	आरा–वाराणसी	78	132	00	210	1	0	2	0	264	0
14	बलिया–बक्सर वाया फेफना, बयानी, चितबड़ागांव, भरौली	5	31	00	36	1	4	8	32	248	180

15	अलीनगर–डेहरी	91	29	00	120	3	1	6	2	174	182
16	सभुआ–वाराणसी वाया धरोली, चन्दौली	28	50	00	78	2	3	8	12	400	336
17	पटना–गोरखपुर वाया हाजीपुर, सिवान, देवरिया	268	112	00	380	12	6	12	6	1344	1608
18	सभुआ–वाराणसी वाया नौबतपुर	38	44	00	82	2	4	6	12	264	456
19	मुजफ्फरपुर–गोरखपुर वाया अलेमपुर, पिपराकोठी	159	101	00	260	2	2	4	2	404	318
20	रक्सौल–गोरखपुर वाया पिपराकोठी, गोपालगंज	154	101	00	255	4	2	8	4	808	616
21	बक्सर–उजियारघाट	5	4	00	9	2	2	12	6	48	30
22	छपरा–बलिया वाया बैरिया	7	50	00	57	1	4	4	20	200	140
23	आजमगढ–मुजफ्फरपुर वाया बलिया, माझीघाट	142	168	00	310	2	0	4	0	672	0
24	वाराणसी–गया वाया औरंगाबाद	166	81	00	241	2	2	4	4	324	664
25	लखनऊ–वाराणसी–गया वाया औरंगाबाद	166	302	00	468	2	2	2	2	604	332
	योग–	3088	2258	00	5340	97	69	199	174	14473	14598

अनुलग्नकः–ख

निजी संचालन हेतु मार्गों का विवरण

क्र.सं.	मार्गों का नाम	दूरी (किमी0 में)				फेरों की संख्या		परमिटों की संख्या		कुल संचालन(किमी0 में)	
		उत्तर प्रदेश	बिहार	झारखण्ड	योग	उत्तर प्रदेश	बिहार	उत्तर प्रदेश	बिहार	उत्तर प्रदेश द्वारा बिहार में	बिहार द्वारा उत्तर प्रदेश में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बरहज–सलेमपुर–प्रतापपुर फैक्ट्री–मैरवा–सिवान	57	23	00	80	22	08	11	4	506	456
2	सलेमपुर–भिंगारी–भवानीछापर–मीरगंज–हथुवा–सिवान	32	50	00	82	10	14	5	7	500	448
3	समउर–पड़रौना–छितौनी–बगहा	66	30	00	96	18	08	9	4	540	528
4	गोरखपुर–कप्तानगंज–छितौनी घाट–बगहा	78	30	00	108	24	10	12	5	720	780
5	बलिया–बक्सर वाया भरौली बार्डर	35	05	00	40	30	4	15	2	150	140
6	बलिया–छपरा वाया माझीघाट	50	20	00	70	10	4	5	2	200	200
7	मऊ–गहमरवाड़ा वाया बहादुरगंज, सलामतपुर, सिघारघाट, रसड़ा, प्रधानपुर, लट्टूडीह बलवरिया, बसनिया, भरौली, बक्सर	93	05	00	98	16	0	8	0	80	00
8	वाराणसी–बक्सर वाया बारा, चौसा	120	14	00	134	12	2	6	1	168	240
9	वाराणसी–डेहरी वाया सासाराम, मोहनिया, भभुआ, कर्मनाशा, सैयदराजा, चन्दौली	50	198	00	248	0	2	0	1	0	100
	योग–	581	375	00	956	142	52	71	26	2864	2892